

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- विचलन प्रस्ताव की समीक्षा के संबंध में आहूत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यों के विचलन प्रस्ताव की समीक्षा हेतु सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचलन प्रस्ताव की समीक्षा के संबंध में दिनांक-08.09.2023 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है। (बैठक की कार्यवाही यथासंगत)

उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....

ज्ञापांक:-.....

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-...20/9/23

ज्ञापांक:-7649(च)

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-08.09.2023 को योजनाओं की विचलन प्रस्ताव की समीक्षा के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही :-

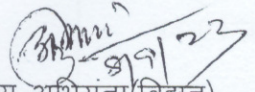
उपस्थिति :-

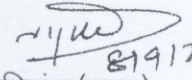
1. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना।
3. मुख्य अभियंता(दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना।
4. मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना।
5. मुख्य अभियंता(विद्युत), भवन निर्माण विभाग, पटना।
6. मुख्य अभियंता(निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना।
7. मुख्य अभियंता(गुणवत्ता अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, पटना।

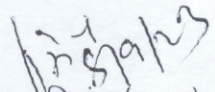
कार्यवाही :-

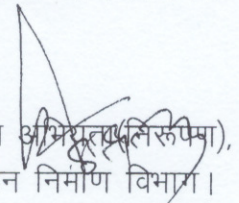
योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान या कार्य समाप्ति के उपरांत कतिपय मदों की मात्राओं में विचलन प्रस्ताव की समीक्षा हेतु सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :-

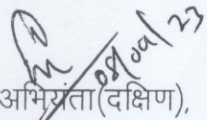
- ITI का Model drawing के आधार पर Reinforcement की मात्रा 140 Kg/m³ (RCC) है।
- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक-5852, दिनांक-20.07.2023 तथा पत्रांक-6726, दिनांक-21.08.2023 से विचलन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज (BBS, Drawing, etc) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- योजनाओं का Bar bending schedule तैयार करने में काफी समय लगने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Bar bending schedule समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में वैसे विचलन प्रस्ताव जिनका Reinforcement की मात्रा 135-145 Kg/m³ के अंतर्गत है, को अनुमोदित किया जा सकता है।


मुख्य अभियंता(विद्युत),
भवन निर्माण विभाग।

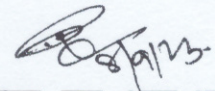

मुख्य अभियंता(उत्तर),
भवन निर्माण विभाग।


मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग।

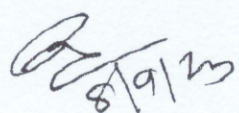
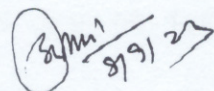
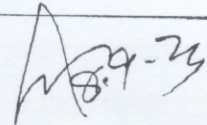
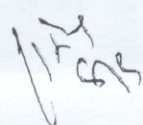
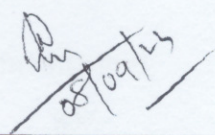
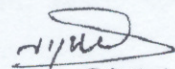

मुख्य अभियंता(निरूपण),
भवन निर्माण विभाग।


मुख्य अभियंता(दक्षिण),
भवन निर्माण विभाग।

मुख्य अभियंता(गुणवत्ता),
भवन निर्माण विभाग।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
सह- विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के अध्यक्षता में दिनांक-08.09.2023 को 01.00 बजे अपराह्न में योजनाओं की विचलन प्रस्ताव के समीक्षा के संबंध में आयोजित बैठक की उपस्थिति :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम पदनाम	हस्ताक्षर
1.	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना।	 8/9/23
2.	मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, पटना।	 8/9/23
3.	मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना।	 8.9-23
4.	मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना।	 11/5/23
5.	मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना।	 8/09/23
6.	मुख्य अभियंता (गुण0 अनु0), भवन निर्माण विभाग, पटना।	
7.	मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना।	 8/9/2023